मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755–2551486–87 फैक्स 2550094

क्र. 1306 /MGNREGS-MP/NR-1/14 भोपाल, दिनांक 12/2/2014

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम सनन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला/जिला पंचायत –................... (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः– नियत समय में मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के संचालन बाबत।

-----0-----

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के पालन में समस्त ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस तथा रोजगार सप्ताह की अवधारणा को लागू किया गया है। इस अवधारणा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार प्रारंभ करने के दिवस, पूर्व से ही निर्धारित किए गए हैं, ताकि रोजगार की मांग करने वाले परिवारों को पूर्व से विदित रहे कि किस दिन से कार्य प्रारंभ किया जाना है।

परिषद मुख्यालय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार रोजगार सप्ताह, रोजगार दिवस, उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन, एफटीओ जारी करने की समयावधि आदि के बारे ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रांतियां हैं जिसके फलस्वरूप निर्धारित समयावधि में मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है। आपको निम्न उदाहरण के माध्यम से पुनः अवगत कराया जाता है कि किस प्रकार ई–मस्टर जारी करना, मूल्यांकन एवं एफटीओ जारी किए जा सकेंगें।

उदाहरण स्वरूप, यदि रोजगार सप्ताह सोमवार से प्रारंभ होना है तो ग्राम रोजगार सहायक पिछले सप्ताह के शुक्रवार को जनपद पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के लिए ई–मस्टर रोल जारी कराएगा। तदोपरांत सोमवार से शनिवार तक रोजगार मूलक कार्य सम्पन्न कराएगा। सप्ताह पूर्ण होने पर उपयंत्री आगामी मंगलवार (03 दिवस उपरांत) को कार्य का मूल्यांकन करेगा तथा माप पुस्तिका में दर्ज करेगा। सरपंच द्वारा अगले 02 दिवस (बुधवार एवं गुरूवार) में उपयंत्री द्वारा किए गए मूल्यांकन को भुगतान हेतु प्रमाणित (Pass for payment) करते हुए, जनपद पंचायत कार्यालय को प्रेषित करेगा। शुक्रवार को जनपद पंचायत में संबंधित सहायक लेखाधिकारी तथा सहायक यंत्री द्वारा मूल्यांकित कार्य एवं राशि का तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं के आधार पर परीक्षण किया जावेगा। परीक्षण उपरांत शुक्रवार को ही कार्यक्रम अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी द्वारा एफटीओ जारी किया जावेगा।

P.T.O.

इस प्रकार ई–मस्टर जारी होने के दिनांक से आगामी 15 दिवस में मजदूरों के खाते में मजदूरी की राशि को अंतरित किया जाना संभव है।

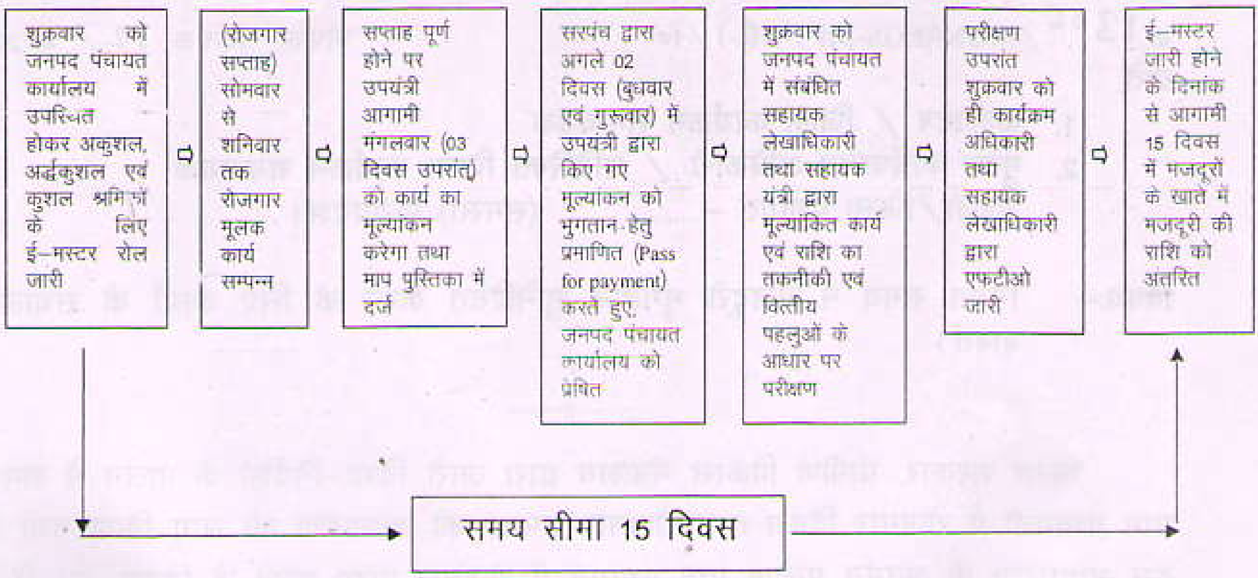

कृपया उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों को जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर तक प्रसारित करने तथा पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तौर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र. 1307 /MGNREGS-MP/NR-1/14 — भोपाल, दिनांक 12/2/2014

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त संभाग – .... (समस्त), की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त आयुक्त (विकास)/संभागीय प्रबंधक, संभागायुक्त कार्यालय संभाग – ...... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद